तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज हंसराज बगै0 बनाम केलादेवी बगै0 अपील सं0 17/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए

23.03.2021

पत्रावली वास्ते आदेश अन्तरिम स्थगन प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुयी। बकुलाय उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अन्तरिम स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी।

विद्वान अपीलांट एड0 ने बहस अन्तरिम स्थगन प्रार्थना पत्र में अपील के वर्णित तथ्यों को दौराते हुए बताया कि रेस्पो0 01 ल0 05 के पिता माधो माली को भूमि खसरा नं0 484/3/1 रकबा 6 बीघा भूमि दिनांक 26.10.78 को ग्राम जटवाडा खुर्द में मृतक माधो राजकीय सेवा में होने के उपरान्त गलत तरीके से चुपचाल आंवटन करा ली जबकि उक्त भूमि पर मृतक माधो व उसके वारिसान का आवंटन होने के उपरान्त से आज तक कोई कब्जा काश्त नहीं था। अपीलाधीन भूमि वर्षो से ग्राम ठींगला तथा जटवाडा खुर्द की ओर जाने वाले वर्षाती नाले के रूप में काम आ रही है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रलेखीय साक्ष्य तथा अपी0 का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट में प्रथम दृष्टया वाद तथा सुविधा का सन्तुलत तथा अपूर्णनीय क्षति अपी0 के पक्ष में सिद्व होते हुये भी अपना आदेश गलत रूप से पारित किया है। जो निरस्तनीय है। अतः अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.02.2020 की कियान्विति स्थगित रखी जावे।

विद्वान रेस्पो0 एड0 ने तर्क प्रस्तुत करते हुए, बताया है कि दिनांक 25.10.1963 को तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा तहसील व जिला सवाई माधोपुर के ग्राम जटवाडा खुर्द में ख.नं. 484/1/3 रकबा 6 बीघा किस्म भूमि बारानी सोयम माधो पुत्र चुनीलाल जाति माली निवासी जटवाडा खुर्द के नाम आवंटन हुई है। उक्त भूमि पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर द्वारा आदेश दिनांक 03.04.2020 द्वारा खातेदारी इन्द्राज करने के आदेश प्रदान कर दिये गये है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.02.2021 विधि अनुरूप किया गया है। अपी0 की अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध [illegible]य नहीं है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिव[illegible] तर्को पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया।

चूकिः अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्व पेश की गई है। जिसमें जवाब प्राप्त किया जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये निर्णय

GM 23.3.21

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किया जाना शेष है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि उनके न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण संख्या 111/2020 उनवानी हंसराज बनाम केलादेवी मे सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए यथासंभव प्रकरण का निस्तारण दो माह में करे। पत्रावली इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.3.21

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 15:12:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner